

**FORM NO. |||****फर्द अहकाम  
नियम (26)**

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....  
.....सुनिता वार्ड..... वनाम.....सरकार.....  
किस्म मु०.....मिसल न०.....49/2025.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
16/9/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी सुमित्रा पुत्री जगन्नाथ ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थीया के हिस्से की भूमि में प्रार्थीया का नाम सुनिता नि० बोरदा नाम दर्ज है। जमाबंदी सवत् 2075 से 78 मुताबिक खसरा नबर 57 में काशतगार का नाम सुनिता दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई। अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम सुमित्रा पुत्री जगन्नाथ के स्थान पर सुनिता नाम दर्ज किया जावे। आज दिनांक ...<u>18/9/25</u>..... को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> 	